भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4655

जिसका उत्तर, 23 मार्च, 2020/3 चैत्र, 1942 (शक) को दिया गया

एन.बी.एफ.सी. की नकदी (लिक्विडिटी)

4655. श्री डी॰एम॰ कथीर आनन्दः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एन॰बी॰एफ॰सी॰ में होने वाली नकदी की कमी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या आई॰एल॰ एंड एफ॰एस॰ घटना के बाद एन॰बी॰एफ॰सी॰ द्वारा दिए गए ऋणों में भारी गिरावट आई है;

(ग) देशभर की विभिन्न एन॰बी॰एफ॰सी॰ द्वारा विगत दो वर्षों के दौरान दिए गए ऋण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास एन॰बी॰एफ॰सी॰ की मदद करने और नकदी बढ़ाने के लिए उनकी संपत्ति का एक हिस्सा बेचने की स्कीम लाने की कोई योजना है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की चल निधि स्थिति को सुगम बनाने के लिए किए गए उपायों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि आरबीआई द्वारा जून 2019 से नियमित चलनिधि समायोजन सुविधा नीलामी करने के अतिरिक्त खुले बाजार परिचालन आयोजित कर इस प्रणाली में समग्र सकारात्मक चलनिधि सुनिश्चित की गयी है। आरबीआई ने यह भी सूचित किया है कि एनबीएफसी के एएलएम संरचना के मानक को सुधारने के लिए आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है। यह संरचना दिनांक 1.12.2020 से आरंभ हो रहे चल निधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) को सभी जमा स्वीकार करने वाले एनबीएफसी के लिए उनके आस्ति आकार को ध्यान दिए बिना तथा 10,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक के आस्ति आकार वाले सभी गैर-जमा स्वीकार करने वाले एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) के लिए 50% और 5,000 करोड़ रुपए के आस्ति आकार से अधिक किन्तु 10,000 करोड़ रुपए से कम आस्ति आकार वाले सभी एनबीएफसी-एनडी के लिए 30% के अनुसार, चलनिधि बफर बनाए रखने को विनिर्दिष्ट करती है। एनबीएफसी की इन सभी श्रेणियों को दिनांक 1.12.2024 तक 100% एलसीआर प्राप्त करने हेतु अधिदेशित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने एनबीएफसी और एचएफसी पर दिनांक 5.7.2019 की स्थिति के अनुसार, बकाया ऋण के अतिरिक्त, एनबीएफसी और आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) को दिए गए वृद्धिशील ऋण के लिए एलसीआर हेतु चलनिधि की सुविधा प्राप्त करने में 1% वृद्धि की फ्रन्ट लोडिंग

की अनुमति दी है। इसके अलावा, राष्ट्रीय आवास बैंक ने आरबीआई द्वारा यथा परिभाषित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अलग आवास ऋण पोर्टफोलियो सृजित करने में एचएफसी को सहायता देने के लिए एक पुनर्वित्त योजना के रूप में एचएफसी के लिए चलनिधि निवेश सुविधा (एलआईएफटी) का शुभारंभ किया है।

(ख): जी, नहीं। आरबीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज समूह की कंपनियों द्वारा चूक के बाद एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) में बकाया ऋण दिनांक 30.9.2018 की स्थिति के अनुसार, 21.42 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर दिनांक 30.9.2019 की स्थिति के अनुसार 23.54 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं (आंकड़े अनंतिम)।

(ग): आरबीआई ने सूचित किया है कि एक अवधि के दौरान देशभर में विभिन्न एनबीएफसी द्वारा दिए गए ऋणों के राज्य-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(घ): सरकार ने वित्तीय रूप से सुदृढ़ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)/आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) से उच्चतर रेटेड सामूहिक आस्तियों को खरीदने के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले बैंकों द्वारा खरीदी जा रही आस्तियों के उचित मूल्य के 10% तक की पहली हानि अथवा 10,000 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को गारंटी प्रदान करने हेतु दिनांक 11.12.2019 को संशोधित आंशिक ऋण गारंटी योजना जारी की है। यह योजना उन एनबीएफसी/एचएफसी को कवर करती है, जो दिनांक 1.8.2018 से पूर्व एक वर्ष की अवधि के दौरान विशेष उल्लेख किए गए खाता-0 श्रेणी (अर्थात् जिसमें पुनर्भुगतान देय तिथि के बाद 30 दिनों तक किया जा सकता है) और बीबीबी + अथवा इससे अधिक के मूल्यांकित आस्ति समूहों में चले गए हैं। एकबारगी आंशिक ऋण गारंटी की सुविधा दिनांक 30.6.2020 तक उपलब्ध है या ऐसी तिथि तक जब तक कि 1,00,000 करोड़ रुपए की आस्तियां बैंक द्वारा खरीदी जाएं, जो भी पहले हो, तक उपलब्ध रहेगी।

इसके अलावा, आरबीआई ने पात्र ऋण आस्तियों के लिए दिनांक 30.6.2020 तक न्यूनतम धारिता अवधि अपेक्षाओं को एक वर्ष से कम करके छः माह करते हुए एनबीएफसी के लिए प्रतिभूतिकरण दिशानिर्देशों में छूट दी है, जो एनबीएफसी को ऋण के आरंभ होने से अल्प समय के भीतर ही उनकी आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और विक्रय करने में सक्षम बनाता है।

*****